116

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R 951 III 14

1	जयराम तनय श्री सेवलाल यादव
2	भइयन तनय श्री सेवलाल यादव
	निवासीगण– ग्राम लुहरगुंवा तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़,म0प्र

............आवेदकगण

बनाम

1– हल्के तनय सेवलाल यादव
2– मातादीन तनय दयाराम यादव
3– रतनसिंह तनय दयाराम यादव
4– रमेश तनय दयाराम यादव
5– रामस्वरुप तनय दयाराम यादव
6– गुलाब तनय दयाराम यादव
7– संतोष तनय दयाराम यादव
8– दयाराम तनय हरदास यादव (मृत)
9– मगना तनय चिमना अहिरवार
10– विष्णु चिमना अहिरवार
11– सिल्ली तनय पुनुवा अहिरवार
12– श्रीमती रामरती पत्नी चैनू यादव
13– स्वामी प्रसाद तनय फुन्दी यादव
14– सुरेश प्रसाद तनय फुन्दी यादव
15– दमरु तनय छक्कीलाल अहिरवार
16– घनश्याम तनय छक्कीलाल अहिरवार
17– श्रीमती रामादेवी पत्नी भईयन यादव
समस्त निवासीगण– ग्राम लुहरगुंवा तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़,म0प्र
जिला– टीकमगढ़, म0प्र0

..... अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 05/02/14 पारित द्वारा माननीय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर जो प्रकरण कमांक कमांक 794/ अ–27/ बी 2011 – 12 में पारित कर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी निवाडी द्वारा प्रकरण कमांक 34/अपील /2011 – 12 में पारित आदेश दिनांक 30/05/12 एवं श्रीमान् तहसीलदार महोदय पृथ्वीपुर द्वारा प्रकरण कमांक 6/अ–27/10–11 में पारित आदेश दिनांक 03/03/11 को यथावत् रखा गया है। (एनेक्जर पी/1)

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, आवेदकगण जयराम एवं भइयन तथा अनावेदक कमांक 1 हल्के सगे भाई है। अनावेदक कमांक1 द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय पृथ्वीपुर जिलाटीकमगढ़ के समक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक– निगरानी–941–तीन/2014 जिला–टीकमगढ़

जयराम आदि विरूद्ध हल्के आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के ह.
04-06–2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन को उनके द्वारा प्रस्तुत सूची दस्तावेजों के आवेदन पर सुना गया है। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 794/अ–27/बी 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 05–02–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न सूची दस्तावेज पेश किये जिसमें प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय व्यवहार न्यायालय से व्यवहार वाद क्रमांक 75ए/2014 में पारित आदेश दिनांक 01–12–2016 को एवं अपर जिला न्यायाधीश निवाड़ी जिला–टीकमगढ़ में प्रकरण क्रमांक आर.सी.ए./05/2017 में पारित आदेश दिनांक 08–05–2019 से व्यवहार वाद का अपील में अंतिम निराकरण हो गया है। व्यवहार न्यायालय से आदेश होने के पश्चात् अब इस न्यायालय में निगरानी प्रचलित रखने का कोई औचित्य शेष नहीं है। अतः निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। अभिलेख वापिस भेजा जाये। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। 04/6/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	